

62139
 Add
 Purpose
 Signature of
 PANKAJ BHARDWAJ
 Lic. No. 388
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

as
Jan - 60 Chapin
P.B. - Elizabeth
Ch -
K.C. Perry -
Bill - f L
2/11.



D 983620

INDEMNITY BOND

This Indenture is made at DELHI on this 12.12.2007 by Sh. Sarwan Singh Chauhan S/o Sh. Shahzad Singh Chauhan President of PARTAP VIHAR SAFFIPUR RANHOLLA NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, DELHI-41 (REGD. NO. 60434), execute this Indemnity Bond.

WHEREAS we shall abide by the rules and regulations and orders of the Govt. of NCT of Delhi, MCD & DDA etc.

WHEREAS we shall also pay Development Charges for provisions of Electricity, Water, sewerage and drainage etc. as may be fixed by the concerned authorities.

WHEREAS we indemnify the Local Body/ DDA etc. in respect of all necessary measures for retrofitting against the seismic requirement and for structural stability of the Building etc. in the Locality.

IN WITNESS WHEREOF this Indemnity Bond is executed by the Executant on the day, month and year first above written in the presence of following witnesses:

WITNESSES:



Handwritten signatures and names of witnesses:
H H 013
Partap Vihar
H H 015
Sarwan Singh

EXECUTANT/ PRESIDENT

Handwritten signature of Sarwan Singh Chauhan

(Sarwan Singh Chauhan)

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

12 DEC 2007

LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

[illegible]

15/01/2017

LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

S. NO.	Name of Owner	Name of Father/Husband	Plot No.	Plot Flat	Ph.No./F	Any Water Y/N	Elect. Y/N	Member of RWA Yes/No
71.	RAMJILAL	SH. ASHARAM	27A	30		N	N	NO
72.	NIRMALI SRAVASTHA	DR. KAMLESH	27B	100		N	N	NO
73.	PUSHPA DEVI	SH. DEENDAYAL	27C	25		N	N	NO
74.	RAKESH	SH. HARISINGH	27D	25		N	N	NO
75.	KANCHIRAM	SH. BOHRI LAL	28	25		N	N	NO
76.	PRABHA DEVI	SH. VISHNU	28A	30		N	N	NO
77.	ARTI DEVI	SH. BEATENDER SHARMA	28B	30		N	N	NO
78.	ANITA	SH. PAWAN	28C	25		N	N	NO
79.	RAJESH	SH. B.P. AGRAWAL	28D	30		N	N	NO
80.			29	200				
81.	Dr POGNAM CHADHA	DR. R.B. CHADHA	30	275		N	N	YES
82.	P.P. GUPTA		31	200		N	N	NO
83.	P.P. GUPTA		32	200		N	N	NO
84.			33	125				



3/10/19

LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

S. NO.	Name of Owner	Name of Father/Husband	Plot No.	Plot Flat	Ph. NO. If	Any	Water Y/N	Elect. Y/N	Member of RWA Yes/No
57	MAMTA RANI	RAJU GUPTA	201	25			N	N	NO
58	SURASH CHANDYANAV	SH. SOHANLAL YADAV	21	80	9868034146		N	N	YES
59	RADHA RANI	Sri. KANHAIYALAL	21A	100	55332079		N	N	YES
60	SHAMMI		21B	38			N	N	NO
61	RAMDEVIAR MCHIT	SH. GOVIND MEHTA	21C	25			N	N	NO
62	KALI DAS	SH. TECKCHAND	21D	25			N	N	NO
63	SUSHILADEVI	SH. RAMNARAYAN	22	75	9312705185		N	N	YES
64	SURAJ	SH. OMPRAKASH	22A	75			N	N	NO
65	DEVENDER	SH. SRICHAND	22B	50	9810465581		N	N	NO
66	DR. SUSHIL KUMAR	SH. MUNNALAL	23	275	981174086		N	N	YES
67	DR. AREN KUMAR	SH. M. L. GUPTA	24	200			N	N	NO
68	DR. SUSHIL KUMAR	SH. MUNNALAL	25	200	981174086		N	N	YES
69	DR. LALITA GUPTA	SH. N. K. GUPTA	26	200			N	N	NO
70	RAJESH	SH. B. B. ALIYARWAL	27	75	9811102263		N	N	NO

28/10/2023



LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

S. NO.	Name of Owner	Name of Father/Husband	Plot No.	Plot Flat	Ph.No./IT	Any Water	Y/N	Elect. Y/N	Member of RWA Yes/No
43.	SURHASHI RANI	SH. SURHASHI	18E	25		N	N	N	N/O
44.	MADAN SHI	SH. SURESH SHI	18F	25		N	N	N	N/O
45.	TITU	SH. NATHAMAL	19	30	9210582835	N	N	N	Yes
46.	SON DEVI	SH. PANCHI RAM	19A	35		N	N	N	N/O
47.	OMVATI	SH. VIKRAM	19B	50		N	N	N	N/O
48.	SAVITRI DEVI	SH. PREMPAL RANA	20	50	935016249	N	N	N	Yes
49.	MUNNI DEVI	SH. SUBEDAR SINGH	20A	50		N	N	N	Yes
50.	ANSHU LINDA DEVI	SH. RAM KUMAR GUPTA	20B	50		N	N	N	N/O
51.	SURESH PRASAD	SH. SHYAMLAL	20C	50		N	N	N	N/O
52.	RAJKUMAR	SH. UDENDER	20D	25		N	N	N	N/O
53.	DR. MADHUKAR		20E	40		N	N	N	N/O
54.	ASHOK	SH. PT. MEEL RAY	20F	25		N	N	N	Yes
55.	SHASHI BALA	SH. SATISH MADAN	20G	25	9871726475	N	N	N	Yes
56.	RAJKUMAR	SH. CHANDAN DAS	20H	25	9871726475	N	N	N	N/O



LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

S. NO.	Name of Owner	Name of Father/Husband	Plot No.	Plot Flat	Ph.No./fl	Any	Water Y/N	Elect. Y/N	Member of RWA Yes/No
29	ABHAY UPADHAYA	SH. RAMESHWAR UPADHAYA	15C	20			N	N	NO
30	RITA	SH. RANDHIR SINGH	15D	25			N	N	Yes
31	SRI RAM		16	41			N	N	NO
32	JALIANI MATI	SH. RAMESHWAR	16A	41			N	N	NO
33	SANITOKI KUMAR	SH. MANUJ DAS	16C	35			N	N	Yes
34	KENAL KRISHAN	LITXMI DAS	16D	30			N	N	Yes
35	SATENDER PRASAD		16E	25	996818271		N	N	NO
36	KALA	SH. PURAN CHAND	16F	25			N	N	NO
37	MAHENDER SINGH	SH. MADE SINGH	17	800	9671133332		N	N	NO
38	MADHU BALA	SH. ASHOK KUMAR MITAL	18	38			N	N	Yes
39	MADHU BALA	SH. ASHOK K. MITAL	18A	30			N	N	Yes
40	LAXMI DEVI	SH. GHANASHYAM	18B	25			N	N	NO
41	SUNEHARI	SH. PURAN	18C	30			N	N	Yes
42	Gopi		18D	55			N	N	NO

Signature



LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

S. NO.	Name of Owner	Name of Father/Husband	Plot No.	Plot Flat	Ph.No./If	Any Water Y/N	Elect. Y/N	Member of RWA Yes/No
15.	DIWAKAR	SH. MANUJAL PRASAD	13	60	9810350223	N	N	Yes
16	RADHA RANI	SH. KANHAIYA	13A	40	55732039	N	N	Yes
17	MEENA SHARMA	SH. RAMRABU	13B	30		N	N	No
18.	SUMAN	SH. PRAMOD SHARMA	13C	30		N	N	No
19.	MAYADHARI	SH. RISHAMBAR DAS	13D	38		N	N	No
20.	MANOJ K CHAUDHARY	SH. PRATAP NARAYAN	14	40		N	N	No
21.	MUNNI DEVI	SH. RANDHIT SHARMA	14A	40	8211365329	N	N	Yes
22.	MEENA DEVI	SH. SURESH CHAND	14B	55	9210312165	N	N	Yes
23.	MADHU	SH. ABREEL	14C	35		N	N	Yes
24.	RAVINDEEP LASHI KARAN	SH. SATYANARAYAN	14D	25	9213435443	N	N	No
25.	MONUSALAKI/SANJAY	SH. RAJU	14E	50	9213435843	N	N	No
26	RAJIB ALI	SH. LAL MOHAMMAD	15	35		N	N	Yes
27	KULDEEP	SH. BHABTU SINGH	15A	40	9313163019	N	N	No
28.	AMARNATH	SH. KULDEEP SINGH	15B	40	9313163019	N	N	Yes

Signature



LIST OF PLOT OWNER PRATAP VIHAR SAFIPUR RANHOLA MAIN NAJAFGARH ROAD NANGLOI NEW DELHI -110041

S. NO.	Name of Owner	Name of Father/Husband	Plot No.	Plot Flat	Ph.No./If	Any Water Y/N	Elect. Y/N	Member of RWA Yes/No
1	MAHENDER SINGH	SH. MADE SINGH	1	1000	9871133232	N	N	N/O
2	SANJAY / RAMEETI	SH. RAJU	2	500	9213435843	N	N	N/O
3	LAKHAN SINGH	SH. K.R. SAINI	3	500	9350599977	N	N	N/O
4	RAKESH MALHARAN	SH. DHANPAT RAI	4	1000	9212201039	N	N	Yes
5	KARTAR SINGH		5	500	25473459	N	N	N/O
6	CHANDERGHAN YADAV	SH. GYANI RAM	6	1000	25941675	N	N	N/O
7	LAXMI BISWAL	SH. VISHWANATH ANAND	7	500	9811083344	N	N	N/O
8	R.K. MEENA	SH. MEENA	8	500	22031213	N	N	N/O
9	R.K. MEENA	SH. MEENA	9	350	27031213	N	N	N/O
10			10	250				
11	SARAN DEVI	SH. S.S. CHAUHAN	11	125	28311375	N	N	Yes
12	BABY	SH. KARAN CHAND	11A	50		N	N	N/O
13	MANOHARI DEVI	SH. GIRDHARI LAL	11B	100	9999242081	N	N	N/O
14	KAUSHALYA DEVI	SH. RAJESH YADAV	12	200	991030408	N	N	Yes



26. कार्यकारिणी की वार्षिक सूची: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के अंतर्गत यथापेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची प्रतिवर्ष संस्था पंजीयक कार्यालय में जमा की जायेगी।
27. वैधानिक कार्यवाहियाँ: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 6 के अधीन उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार संस्था अध्यक्ष/महासचिव के नाम से मुकदमा चला सकती है।
28. संशोधन: ज्ञापन पत्र तथा नियम व उपनियम में कोई संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 व 12ए में उल्लिखित पद्धति के अनुसार किया जायेगा।
29. समापन: यदि संस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है तो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 व 14 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।
30. अधिनियम को लागू करना: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 की सभी धाराओं के अंतर्गत सभी उपबन्ध इस संस्था पर लागू होंगे।
31. अनिवार्य प्रमाण पत्र: "प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियम व उपनियमों सहो प्रति है।"



Shri. S. S. Chandra

[Signature]

[Signature]

20. शाखाएँ: संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था की अनेक शाखाएँ और उपसमितियाँ गठित की जा सकेंगी।

21. उप समितियाँ:

1. संस्था की कार्यकारिणी देश-विदेश में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उप-समिति (यों) का गठन कर सकेंगी।
2. इन उप-समितियों को केवल उन अधिकारों को उपयोग करने का हक होगा जो संस्था की कार्यकारिणी द्वारा उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, समय समय पर, कार्यकारिणी सभा में तय किये जाएंगे।
3. संस्था की कार्यकारिणी को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय इस प्रकार गठित उप-समिति (यों) को बिना पूर्व सूचना के निरस्त/समाप्त कर दे।

22. सलाहकार मंडल: संस्था की कार्यकारिणी को अधिकार होगा कि वह संस्था के सम्बंधित किसी मामले के समाधान हेतु सलाहकार मंडल/मंडलों का गठन कर सकेंगी। संस्था के किसी भी पदाधिकारी अथवा कार्यकारिणी सदस्य को ऐसे सलाहकार मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेंगा।

23. वित्तीय वर्ष: संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ हो कर 31 मार्च तक रहेगा।

24. धन व्यवस्था व बैंक खातों का संचालन: संस्था में विभिन्न स्रोतों से हुई आय को कार्यकारिणी में तय किये गये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, शैड्यूल्ड बैंक और/अथवा सहकारी बैंक में जमा कराया जा सकेंगा। बैंक खाते/खातों का संचालन अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा किया जाएगा।

25. लेखा परीक्षा: संस्था के खातों का प्रतिवर्ष, नियमित रूप से, किसी आधिकारिक लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा लेखा परिक्षण कराया जाएगा।

Shri. S. S. Chaudhary

gust

M. Banton

कोषाध्यक्ष:

1. संस्था के सभी आय और व्यय का व्यौरा सुचारु रूप से रखने का अधिकार संस्था के कोषाध्यक्ष के नियन्त्रण में होगा।
2. कार्यकारिणी के आदेशानुसार संस्था के धन का खर्च करेगा।
3. संस्था से सम्बंधित आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए एक हजार रुपये (अथवा कार्यकारिणी द्वारा तय की गयी राशि) तक अपने पास रखने का अधिकारी होगा।
4. कोषाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह संस्था की आय-व्यय के सम्बंधित सभी बातों व वही को अधूरा न रखे तथा कार्यकारिणी व साधारण सभा में इन्हें सदैव साथ ले कर उपस्थित हो।

कार्यकारिणी सदस्य:

1. संस्था के प्रत्येक कार्यकारिणी के सदस्यों का परम कर्तव्य होगा कि वे संस्था की कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा में, नियमित रूप से, उपस्थित होंगे।
2. प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य होगा कि संस्था के हितों की रक्षा के लिए संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना पूर्ण सहयोग दे।

18. **चुनाव:** वार्षिक साधारण सभा में प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों का हाथ उठा कर अथवा गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। संस्था के किसी भी सदस्य पर चन्दा राशि वकाया होने पर वह सदस्य चुनाव या/और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी रूप में भाग नहीं ले सकेगा/सकेगी। चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति संस्था की उस कार्यकारिणी सभा में की जाएगी जो सभा इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गयी होगी। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ-साथ चुनाव अधिकारी के अधिकार भी संस्था की कार्यकारिणी तय करेगी।

19. **आय के श्रोत:** संस्था को होने वाली समस्त आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में ही खर्च की जाएगी तथा संस्था के आय के श्रोत निम्नलिखित होंगे:-

1. सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान व विशेष अनुदान इत्यादि।
2. प्रदर्शिनी, सेमीनार या अन्य कार्यक्रमों के आयोजन से एकत्रित धन।

Shri. S. S. Chaudhary

Signature

Signature

15. अपील: संस्था सम्बन्धित सभी प्रकार की अपील साधारण सभा में की जाएगी।

16. रिक्त स्थानों की पूर्ती: संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों अथवा कार्यकारिणी सदस्यों में हुई रिक्तता कार्यकारिणी सभा में बहुमत के आधार से पूर्ण की जाएगी। इस प्रकार की गई रिक्तपूर्ती को आगामी साधारण सभा में विचारार्थ रखना अनिवार्य होगा।

17. पदाधिकारियों के कार्य एवम अधिकार:

अध्यक्ष: अध्यक्ष के निम्न लिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-

1. संस्था द्वारा आयोजित सभी प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना।
2. किसी विषय पर चर्चा के दौरान समर्थन व विरोध में पड़े मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत डालने का अधिकार होगा।
3. कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की कार्यवाही के दौरान नये प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करना।
4. प्रतिवर्ष नियमित रूप से संस्था की कार्यकारिणी की वार्षिक सूची (एनुअल लिस्ट) संस्था पंजीयक (दिल्ली) के कार्यालय में दाखिल करना।

उपाध्यक्ष:

1. संस्था में एक उपाध्यक्ष होगा जोकि संस्था के अध्यक्ष को उसके कार्यों को पूर्ण करने में उसका पूरा सहयोग करेगा।
2. संस्था के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था का उपाध्यक्ष संस्था के अध्यक्ष के अधिकारों का निर्वाह कर सकेगा।

महासचिव:

1. कार्यकारिणी सभा, साधारण सभा और/अथवा अन्य सभाओं के आयोजन हेतु सूचना जारी करना।
2. संस्था की कार्यवाही से सम्बन्धित रजिस्टर व अन्य दस्तावेज तैयार करना व करवाना।

सचिव:

1. संस्था में एक सचिव होगा जोकि संस्था के महासचिव को उसके कार्यों को पूर्ण करने में उसका पूरा सहयोग करेगा।
2. संस्था के महासचिव की अनुपस्थिति में संस्था का सचिव संस्था के महासचिव के सभी अधिकारों का निर्वाह कर सकेगा।

Shri. S. S. Chakrabarti

Jain

M. H. Khan

14. कार्यकारिणी के कार्य एवम अधिकार: कार्यकारिणी के निम्नलिखित कार्य व अधिकार होंगे-

1. संस्था के ज्ञापन पत्र में वर्णित समस्त उद्देश्य तथा कार्यकारिणी में मंजूर किये गये प्रस्ताव ही संस्था के कार्य होंगे।
2. सदस्यता के लिए आये आवेदन पत्रों पर विचार करना।
3. संस्था में उठे किसी विवाद के समाधान हेतु 'परामर्श समिति' का गठन करना। इस प्रकार गठित 'परामर्श समिति' संस्था की कार्यकारिणी को मात्र अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी परन्तु सम्बन्धित विषय पर निर्णय लेने के लिए कार्यकारिणी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगी।
4. सभी निर्णय बहुमत के आधार पर तय किये जायेंगे।
5. संस्था के समस्त कार्य संस्था की कार्यकारिणी की देख रेख में सम्पन्न होंगे तथा किसी कार्य विशेष की सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को सौंपी जा सकती है।
6. इस संस्था के नियम व उपनियमों में वर्णित समस्त अधिकार ही कार्यकारिणी अधिकार होंगे।
7. योजना व भावी कार्यक्रम तैयार करना।
8. प्रोजेक्ट तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों में अनुदान हेतु आवेदन करना।
9. चुनाव अधिकारी का चुनाव करना व चुनाव अधिकारी के अधिकार तय करना।
10. बैंक (अथवा अन्य फाइनेंस इन्स्टीट्यूशन) से उचित व्याज पर लोन के लिए आवेदन करना व उसके व्यय करने की रूपरेखा तैयार करना।
11. संस्था की ऐसी धन राशि को, जोकि निकट भविष्य में उपयोग में नहीं आनी (संस्था के धन को बढ़ाने के उद्देश्य से) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बचत योजना(ओं) आदि में लगाना।
12. संस्था के संरक्षक या संरक्षकों की नियुक्ति करना।
13. किसी प्रदर्शनी, सेमिनार या प्रशिक्षण आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्था का प्रतिनिधी या/और प्रशिक्षक चुनना व उसके खर्चे आदि के लिए धन की व्यवस्था करना।
14. चन्दा, दान, अनुदान आदि ग्रहण करना।
15. समय समय पर ऐसे प्रस्ताव या निर्णय पारित करना जो कि संस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए आवश्यक हों।



Shri. ...

...

...

2. संस्था के सदस्य संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके अपना परिचय-पत्र प्राप्त कर सकेगा।

11. सदस्यों के कर्तव्य: संस्था के सदस्यों के निम्नलिखित कर्तव्य हैं-

1. कार्यकारिणी का चुनाव करना,
2. साधारण सभा में नियमित रूप से उपस्थित होना।
3. संस्था को समय-समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।
4. ऐसे किसी भी कार्यक्रम या आयोजन में भाग न लेना जो संस्था के उद्देश्यों और/अथवा नियम व उपनियमों के खिलाफ हों।

12. कार्यकारिणी :

1. विस्तार: कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या सदैव कम से कम सात और अधिक से अधिक इक्कीस होंगी।
2. कार्यकाल: कार्यकारिणी का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।
3. सभा सूचना: कार्यकारिणी की सभा सूचना तिथि, समय, स्थान और चर्चा किये जाने वाले विषयों के विवरण के साथ कम से कम सात (7) दिन पूर्व दी जायेगी।
4. गणपूर्ति: कार्यकारिणी सभा के लिए गणपूर्ति 2/3 होंगी।
5. कार्यकारिणी सभा: संस्था की कार्यकारिणी सभा समय समय पर आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
6. आपात कालीन सभा: आपात कालीन कार्यकारिणी सभा चौबीस घंटे की अवधि में बुलाई जा सकेगी परन्तु इसके लिए गणपूर्ति 2/3 होंगी।

13. कार्यकारिणी का स्वरूप: संस्था की कार्यकारिणी का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

1. अध्यक्ष.....एक
2. उपाध्यक्ष.....एक
3. महासचिव.....एक
4. सचिव.....एक
5. कोषाध्यक्ष.....एक
6. कार्यकारिणी सदस्य..... दो से सोलह।

Shri.

...

...

7. संस्था की सदस्यता से निष्कासन/ निलम्बन: कार्यकारिणी निम्नलिखित कारणों के आधार पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है-

1. सदस्य की मृत्यु होने पर,
2. संस्था की सदस्यता से स्वयं लिखित त्याग पत्र देने पर,
3. असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर,
4. संस्था के उद्देश्यों के खिलाफ प्रचार करने का दोषी होने पर,
5. चन्दा-राशि देय तिथि से 3 माह तक जमा न करने पर,
6. संस्था की लगातार तीन सभाओं में, उचित कारण की सूचना दिये बिना, अनुपस्थित रहने पर,
7. नियम व उपनियमों अथवा कार्यकारिणी के निर्णयों की उपेक्षा या अवहेलना अथवा अनादर करने का दोषी पाये जाने पर।

विशेष टिप्पणी: संस्था की सदस्यता से निष्कासित/निलम्बित किये जाने की सूचना सम्बन्धित सदस्य को दी जाएगी।

8. साधारण सभा परिभाषित: संस्था के सभी सदस्य मिल कर संस्था की साधारण सभा बनाते हैं।

9. साधारण सभा:

1. सूचना:- प्रत्येक साधारण सभा के लिए सभा की तिथी, समय, स्थान और जाने वाले विषयों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
2. साधारण सभा की अवधिता एवं गणपूर्ति: साधारण सभा की बैठक नियमित रूप से एक साल में एक बार अवश्य बुलाई जाएगी तथा इसकी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या 2/3 होगी।
3. आपात कालीन सभा: आपात कालीन साधारण सभा तीन दिन की अल्प सूचना से बुलाई जा सकेगी परन्तु इसके लिए गणपूर्ति 2/3 होगी।

10. सदस्यों के अधिकार:

1. संस्था के सभी सदस्य संस्था द्वारा आयोजित सभी प्रकार के सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों, सभाओं तथा अन्य न्यायोचित आयोजनों में भाग ले सकेंगे।

Shri. S. S. Chaturvedi

Shri. S. S. Chaturvedi

Shri. S. S. Chaturvedi

'संस्था के नियम व ठरनियम'

1. संस्था का नाम: संस्था का नाम "प्रताप विहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सफीपुर, रनहौला, दिल्ली-110041", होगा।
2. संस्था की सदस्यता: प्रत्येक वयस्क संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है जो संस्था द्वारा आवेदन के समय प्रभावी सभी शर्तों को पूरा करने योग्य हो परन्तु संस्था की सदस्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यकारिणी का निर्णय निर्णायक होगा।
विशेष टिप्पणी: सदस्यता प्रदान न करने की स्थिति में कार्यकारिणी के निर्णय की सूचना सम्बन्धित आवेदन कर्ता को देना अनिवार्य होगी।
3. सदस्यता शुल्क व चन्दा: सदस्यों से लिया जाने वाला सदस्यता शुल्क व चन्दा समय-समय पर संस्था की कार्यकारिणी सभा में तय किया जाएगा और वर्तमान में यह निम्नानुसार है-
 1. प्रवेश के समय प्रत्येक सदस्य को रु.100/- सदस्यता शुल्क के रूप में जमा कराना होगा और...
 2. रु.25/- प्रति माह चन्दा नियमित रूप से जमा कराना होगा।
4. सदस्यता के प्रकार: वर्तमान में संस्था के सभी सदस्य साधारण सदस्य कहलाएंगे। संस्था समय-समय पर अन्य प्रकार की सदस्यता प्रदान करने के लिए आवेदन मांग सकती है।
प्रकार के सदस्य (सदस्यों) की योग्यता, सदस्यता शुल्क व चन्दा राशि और संस्था के चुनाव में वोट डालने के अधिकार आदि को तय करने का पूर्ण अधिकार संस्था की कार्यकारिणी को होगा।
5. संस्था के, संस्थापक सदस्य: इस संस्था की प्रथम कार्यकारिणी के अधिकारों के अन्तर्गत और कार्यकारिणी सदस्य संयुक्त रूप से संस्था के संस्थापक सदस्य कहलाएंगे।
6. संस्था के संरक्षक सदस्य: संस्था की कार्यकारिणी समय समय पर समाज के गणमान्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को इस संस्था का संरक्षक सदस्य बना सकेगी।



Shamshul Hasan

Amal

N. Dautan

15. प्राकृतिक आपदा जैसे-बाढ़, आग, सूखा, भूकम्प या तूफान आदि के समय पीड़ितों को चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर सम्भव सहायता प्रदान करना।
16. स्वच्छ पर्यावरण की उपयोगिता के बारे में आम जनता को जागरूक करना और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू करना व इनका संचालन करना।
17. समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें व सांविनिक प्रकाशित करना व इनके वितरण की व्यवस्था करना।
18. समय-समय पर सभा, सेमिनार और प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।
19. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से मुफ्त या/और रियायती दरों पर भूमि का आवंटन करना व आवश्यक निर्माण कार्य करना।
20. संस्था के नाम में सम्पत्ति खरीदना, संस्था की सम्पत्ति की गृहवृद्ध के साथ देखभाल करना आवश्यक निर्माण करना, बेचना, गिरवी रखना व इस सम्बंध में कानून का सम्मान करते हुए आवश्यकता हो तो सम्बंधित सरकारी विभागों से बाकायदा इजाजत लेना।
21. संस्था की सभी आय व धन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 (5) के तहत खर्च किया जाएगा।
22. अन्य वे सभी कार्य करना जो इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक व सहायक हों।
23. संस्था 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' आधार पर कार्य करेगी।
24. समिति की चल या अचल सम्पत्ति से प्राप्त सभी आय, कमाई इस 'ज्ञापन पत्र' में उल्लिखित समिति के उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयोग की जायेगी और लगायी जायेगी तथा इसका कोई भी लाभ समिति के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों को या वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी एक या अधिक व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया जायेगा या लाभ प्राप्त नहीं करेगा या किसी प्रकार से समिति का कोई भी सदस्य समिति की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या समिति की सदस्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

* * * * *

Secretary, Society

[Signature]

[Signature]

4. कॉलोनी को नियमित कराने के लिए नगर निगम से पत्र व्यवहार करना व आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सम्बंधित अधिकारियों से मुलाकात करना।
5. सुरक्षा की दृष्टि से 'आपसी रखवाली योजना' की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराना व स्थानीय पुलिस की मदद से आपसी रखवाली योजना को लागू करना।
6. बिजली, पानी, टेलीफोन, नाटियां, सड़क, पार्क आदि से सम्बंधित दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए सम्बंधित विभाग (विभागों) में पत्राचार करना व आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात करना व उन्हें सही स्थिति से अवगत कराना व उचित गतिविधि देकर समस्या के तुरन्त समाधान के लिए निवेदन करना।
7. अति गम्भीर रोग जैसे: तपैदिक, कैंसर, एड्स आदि के निदान हेतु शोध संस्थान स्थापित करना।
8. नेत्र दान व रक्त दान शिविरों का आयोजन करना।
9. गरीब व पिछड़े लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए 'सैल्फ हेल्प ग्रुप' चलाना और उनके भविष्य के लिए उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
10. शिक्षा के क्षेत्र में विशेष आयाम स्थापित करने वाले मेधावी छात्रों व छात्राओं तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान करना और उन्हें प्रगति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करना।
11. बहुत गरीब परिवार से सम्बंधित छात्र व छात्राओं तथा विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना।
12. मानसिक व शारीरिक विकलांग लोगों को 'विकलांगता प्रमाण पत्र' दिलाने में मदद करना सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न आरक्षण व अन्य सुविधाओं को प्राप्त करना।
13. अंधों, गूंगे व बहरो, मानसिक व शारीरिक विकलांगों और वृद्धों के लिए पुनर्वास योजना चलाना।
14. आम जनता के उपयोग के लिए कॉम्युनिटी हॉल, वारत घर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, हेल्थ केंद्र सेंटर, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, शौचालय, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्टैंडियम, स्टूडियो और रात्रि-निवास आदि का निर्माण करना तथा विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व इनका संचालन करना।



Secretary, Social Justice

[Signature]

[Signature]

'संस्था का ज्ञापन पत्र'

1. संस्था का नाम: संस्था का नाम "प्रताप विहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सफीपुर, रनहौला, दिल्ली-110041" होगा।

2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय: संस्था का पंजीकृत कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थापित रहेगा और वर्तमान में यह निम्न पते पर है:

म.नं.-11, प्रताप विहार, सफीपुर रनहौला, नियर-काली माता मन्दिर,
नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली-110041.

2अ. संस्था का कार्यक्षेत्र: दिल्ली।

3. संस्था का ध्येय एवं उद्देश्य: संस्था के मुख्य ध्येय एवं उद्देश्य, जिनके लिए इस संस्था का निर्माण हुआ, निम्नलिखित हैं:-

1. समाज में बन्धुत्व, सहयोग, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाना।

2. समुदायिक विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करना व उनको सुचारु रूप से चलाना।

3. समाज के बहुमुखी विकास के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ करना व उनका उचित संचालन करना:-

(1) मानव कल्याण एवं विकास,

(2) बाल विकास एवं कल्याण,

(3) महिला कल्याण एवं विकास,

(4) अन्याय का प्रतिकार, सुरक्षा एवं न्याय दिलाना,

(5) सामाजिक न्याय दिलाना,

(6) नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कराना,

(7) समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों दूर करना,

(8) स्वास्थ्य सहायता,

(9) पर्यावरण सुरक्षा,

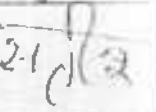
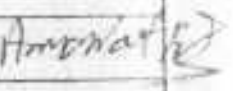
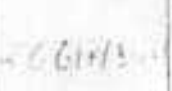


Shri. S. S. Chandra

[Signature]

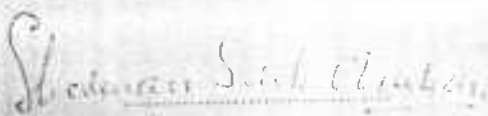
[Signature]

5. पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति: हम, अधोहस्ताक्षर कर्ता, इस ज्ञापन पत्र के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी 'संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860, के अधीन-"प्रताप विहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सफीपुर, रणहोला, दिल्ली-110041" नामक संस्था के पंजीकरण के इच्छुक है:

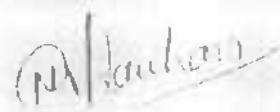
क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री श्रवण सिंह चौहान	म.नं.-11, प्रताप विहार, सफीपुर रणहोला, नियर-काली माता मन्दिर, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली-41	रिटायर्ड बीएसएफ (ऑफिसर)	
2.	श्री प्रेम पाल सिंह	म.नं.-16, प्रताप विहार, रणहोला, नांगलोई, नई दिल्ली-41	व्यापार	
3.	श्री सतीश कुमार मदान	20-बी, प्रताप विहार रणहोला, नई दिल्ली-41	व्यापार	
4.	श्री अमरनाथ शर्मा	15-बी, प्रताप विहार रणहोला, नई दिल्ली-41	नौकरी	
5.	श्री नरेश सिंह चौहान	म.नं.-11, प्रताप विहार, सफीपुर रणहोला, नियर-काली माता मन्दिर, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली-41	अध्यापक	
6.	श्री रज्जब अली	बी-15, प्रताप विहार, सफीपुर, रणहोला, नई दिल्ली-41	नौकरी	
7.	श्री टिटू	म.नं.-19, प्रताप विहार, रणहोला, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-41	व्यापार	
8.	श्री अशोक	20, प्रताप विहार रणहोला, दिल्ली-41	व्यापार	

7 6. NOV 2017

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
DE HARYANA







4. संस्था की कार्यकारिणी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त 'संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860', की धारा-2 द्वारा यथापेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों, जिनको संस्था का प्रबन्ध सौंपा गया है, के नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम निम्न हैं:

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	संस्था में पद
1.	श्री श्रवण सिंह चौहान	म.नं.-11, प्रताप विहार, सफीपुर रणहोला, नियर-काली माता मन्दिर, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली-41	रिटायर्ड बीएसएफ (ऑफिसर)	अध्यक्ष
2.	श्री प्रेम भाल सिंह	म.नं.-16, प्रताप विहार, रणहोला, नांगलोई, नई दिल्ली-41	व्यापार	उपाध्यक्ष
3.	श्री सतीश कुमार मदान	20-बी, प्रताप विहार रणहोला, नई दिल्ली	व्यापार	महासचिव
4.	श्री अमरनाथ शर्मा	15-बी, प्रताप विहार रणहोला, नई दिल्ली	नौकरी	सचिव
5.	श्री नरेश सिंह चौहान	म.नं.-11, प्रताप विहार, सफीपुर रणहोला, नियर-काली माता मन्दिर, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली-41	अध्यापक	कोषाध्यक्ष
6.	श्री रज्जब अली	बी-15, प्रताप विहार, सफीपुर, रणहोला, नई दिल्ली-41	नौकरी	कार्यकारिणी सदस्य
7.	श्री टिडू	म.नं.-19, प्रताप विहार, रणहोला, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-41	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्री अशोक	20, प्रताप विहार रणहोला, दिल्ली-41	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य



ATTESTED
NOTARY PUBLIC
DELHI

Shri... ..

...

(M)...

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860**

Registration No. S/ 60434 /2007

I hereby certify that प्रताप बिहार रेजिडेंट्स
वैलफेयर एसोसिएशन, सफीपुर रनेहोला,
दिल्ली - 110041. X

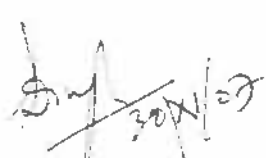
located at म. नं. - 11, प्रताप बिहार, सफीपुर रनेहोला,
नियर - काली माता मन्दिर, नजफगढ़ रोड, नगलोई,
नई दिल्ली - 110041. has been registered* under

SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Given under my hand at Delhi on this 30 day of

नवंबर Two Thousand Seven.

Fee of Rs. 50/- Paid


**REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI**



* This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.

शिवजी किरलोदास शास्त्री सह चतुर्वेदी
19-08
13-08-2007



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

AFFIDAVIT/ UNDERTAKING

14AA 011118

I. Sarwan Singh Chauhan S/o Sh. Shahzad Singh Chauhan President of PARTAP VIHAR SAFFIPUR RANHOLLA NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, DELHI-41 (REGD. NO. 60434), do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That the above said Association is a registered association.
2. That I am submitting lay-out plan of PARTAP VIHAR SAFFIPUR RANHOLLA NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, DELHI-41 (REGD. NO. 60434), of our association for sanction.
3. That I am agreed with the submitting lay-out Plan for sanction on behalf of our PARTAP VIHAR SAFFIPUR RANHOLLA NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, DELHI-41 (REGD. NO. 60434)
4. That our association is ready to pay necessary charges for electricity, water, sewer, drainage etc. to the concerned authorities/ department and at present more than approx. 80% construction available/ made on site.
5. That we shall abide by the layout plan as may be approved by the Government.

6. That the particulars furnished by me are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ATTESTED

शिवराज सिंह
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this 12th day of December, 2007 that the contents of the above affidavit are true & correct to the best of our knowledge and belief.

NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

शिवराज सिंह
DEPONENT

12 DEC 2007

	-Roads -Water Supply -Hand pumps -Tube wells -Underground Water Tank -Street Light -ESS/Transformers/Generators -Drains -Sewerage/Sanitation -Fire fighting installations	NOT DEVELOPED Nil	Optional NO NO NO NO NO NO NO NO
31.	Status of Facilities	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Develop- ment
	-Parks/Transport lots/Common -Open space -Schools -Community Hall -Common parking areas -Dispensary/Health Centre -Religious structures -Police Post/Fire Post	Nil	NO NO NO NO NO NO NO

Enclosures:

- a) Resolution of the Resident Society. ✓
 b) Registration Certificate of Society with authenticated List of members/owners/occupants. ✓
 c) Existing Survey (05 copies + CD) ✓
 d) Regularisation Plans/ 5 Lay out Plan (Service plan (05 copies+ CD). ✓
 e) Undertaking as mentioned. ✓
 f) Certificates/documents/NOCs as mentioned. (BOND) ✓

GIAN P. MATHUR
 ARCHITECT
 B. Arch. M.C.A. A.I.A.
 CA No.-80/5769

E-1321
 (रम) 2507-0128
 ER. M.S. TOMAR, 98102-64432
 Struct. Engineer & Architect
 Jotram M... Gole Chakkar,
 N. w Delhi-110045

Signature of Authorised Signatory
Resident Society



20.	List of members with Plot/Property No. (to be attached)	
	Percentage of Residents/house owners as members of the Resident Society	100%

21. No. of Built-up Plots: (Min.35% of Gr.Floor permissible coverage)

- (i) Upto 100 sq.mts. - 59
- (ii) Above 100 sq.mts. - 5
- (iii) Above 250 sqm. - 9

22. No. of Vacant Plots:

- (i) Upto 100 sq.mts. - 3
- (ii) Above 100 sq.mts. - 6
- (iii) Above 250 sqm. - 5

23.	Land use: As per Master Plan As per Zonal Plan		
24.	Whether falls in Reserved Forests or Regional Park	NO	Yes/No
25.	Whether the Colony effects/falls over Master Plan Road alignment Railway Line Metro Corridor Water Supply/sewerage lines/Utilities Works	NO	
26.	Any Monuments/Heritage Buildings in the Colony or in the vicinity?	NO	
27.	Key Plan/Site Plan of unauthorised Colony and description of boundaries..... (Please attach scaled Key Plan/Plan of Colony superimposed on Zonal Plan/City Survey Map indicating North Point, surrounding features, adjacent roads, buildings, drains, electricity, lines etc.)		yes
28.	NOC as mentioned at para IV (ii):(Please attach)		
29.	Undertaking/Indemnity Bond(Please attach)		yes
30.	Status of Services	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Devel

Application & check list for Regularisation of Unauthorised Colony

(To be filled up by the Resident Society and to be countersigned by Architect-Town Planner & Service Engineer)

1.	Name and address of the Colony	PARTAP VIHAR SAFIPUR RANHAULLA NAJAFUARH RANHAULLA - 41
2.	Regn. No. in the GNCTD list	1435
3.	Name of Resident Society	PARTAP VIHAR RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION
4.	Registration no. of the Resident Society (with Registrar of Societies)	60434
5.	Names of Physical Surveyor & Socio-economic Surveyor	RAMESH & NITIN
6.	Name of Services Engineer	M.S. TOMER
7.	Name of Supervising Engineer	M.S. TOMER
8.	Name of Authorised Signatories	SH. SHARWAN SINGH CHAUHAN
9.	Category of colony (as notified vide Public notice dated 14.10.2007)	G1
10.	Revenue Village	SAFIPUR RANHAULLA
11.	Zone (As per Master Plan of Delhi)	K
12.	Date from which unauthorised colony exists	1987
13.	Location/surroundings (Towards North, South, East & West)	NORTH - BRAMPUR, SOUTH - RANHAULLA VIHAR EAST - AKASH VIHAR, WEST - KOTLA VIHAR PHASE-I
14.	Development Area No. MCD/NDMC/Canti. Board Area? Whether falls in Notified Slum Area?	 MCD
15.	Total area of Unauthorised Colony	2 Hectares
16.	Land Status/Ownership	FREE HOLD
17.	Court Case, if any (Please attach details)	N/A
18.	Land whether notified for acquisition	N/A

1435



AFFIDAVIT

दिल्ली DELHI

22AA 265230

I, SHARWAN SINGH CHAUHAN S/O SHRI SEHJAD SINGH R/O H.NO.11, PARTAP VIHAR, SAFIPUR RANHOLLA, NEAR KALI MATA MANDIR NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, DELHI, PRESIDENT "R.W.A. PARTAP VIHAR, SAFIPUR RANHOLLA, NEAR KALI MATA MANDIR NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, DELHI OF REGISTRATION NO. S-60434/2007 do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. That our association shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.
2. That our association shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure.
3. That it is my true statement.

शिवजी - 13.08.2018
Sharwan Singh Chauhan
Deponent

Verification :-

I, the above named do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the above affidavit are true and correct.

Deponent

13.08.2018

Sharwan Singh Chauhan

CHECK LIST OF DOCUMENTS

Name of Colony:- *Pardeep Vihar*
Regn./Sl. No.:- *1435*

- ☒ Registration Certificate of Resident Society - *yes but not attested. Rully*
- ☒ Existing Layout Plan of the colony on the scale of 1:1000, prepared by an Architect/Town Planner signed by President/Secretary of the Resident Society. - *yes. but scale not mention Rully*
- ☒ Complete list of members with details such as plot Nos. and area of the colony - *yes.*
- ☒ Land status with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site - *No. Rully*
- Undertakings: *2 yes. but different language. but different language. submitted*
 - i. That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions
 - ii. That they shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure

Final

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P.ESTATE NEW DELHI

F.No. 1483

Dated: 10/08/08

To

The President, RWA

Pandap Vihar Safipur
Ranhaula, Najafgarh Road
Wanglo, N.D. - 41.

Sub: Verification of documents of unauthorized colonies for the purpose of regularization.

Sir,

A preliminary scrutiny of the application submitted by the unauthorized colony and figuring at serial No. 1435 of the list of such unauthorized colony has been made. It has been noted that you have not submitted the following required documents, along with your application:-

As per check list enclosed.

You are therefore, requested to kindly get the registration of your resident society done immediately, if not already registered, with the Registrar of Societies GNCT of Delhi. A copy of the certificate along with other deficient documents as pointed out above may please be got ready as the government of NCT of Delhi proposes to hold a camp shortly for rectification of deficiencies in the application forms.

This is in pursuance of the decision to grant a provisional registration certificate. The date and time of the camp would be notified through public advertisement.

Yours faithfully,

(J.G. ARORA)

DY. SECRETARY (UC)

Encl: Check list.

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

F. No. 1-33/UC/UD/Policy/08/PF/

Dated:- 12 AUG 2020

To,

The President / Secretary, RWA

Sh. Shrawan Singh Chauhan

Ramhauza, Najafgarh Rd., Batop Vihar, Safipur,
Nangloi, New Delhi- 41

Registration No. 1435

Sub: - Eligibility slip for issuance of Provisional Regularization Certificate.

Sir,

The documents submitted by you have been scrutinized and your unauthorized colony bearing Registration No. 1435 has been found eligible for issuance of Provisional Certificate of Regularization.

सिद्धि एतद्
13-08-2020 d/c

Yours faithfully,

(Incharge) 13/8/20
Counter No. 05